



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 796 राँची , सोमवार, 11 कार्तिक, 1937 (श०)
2 नवम्बर, 2015 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2015

संख्या-1नीति-40-08/2012 -2365--झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 (अधिनियम-2 1915) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना-470 एफ0 दिनांक 15 जनवरी 1919 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना सं0-1/नीति-40-22/2012-546 दिनांक16 मार्च, 2013 एवं अधिसूचना संख्या-1344 दिनांक 9 जुलाई, 2014 को अवक्रमित करते हुए लो स्ट्रेन्थ कार्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज के लिए निम्नलिखित रूप से उत्पाद कर अधिरोपित करते हैं :-

क्र० सं०	मदिरा का प्रकार	अल्कोहल की मात्रा	कर की दर
1	लो स्ट्रेन्थ कार्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज	5% V/V तक अल्कोहल युक्त	रु० 30/- प्रति बल्क लीटर

2. यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- (अस्पष्ट),

सरकार के विशेष सचिव,

उत्पाद एवं मध निषेध विभाग,
